

नम्बर व
अहकाम जो
हुकम को तारीख
जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23.06.2015	<p>पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। प्रार्थी वकील श्री राणीदान सेवक उपस्थित। रैस्पोंडेंट की ओर से वकील श्री अब्दुलरहमान मेहर द्वारा वकालात नामा प्रस्तुत नहीं किया है। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 28.07.2015 को प्रस्तुत हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>Sharma</u> जिला कलक्टर जैसलमेर</p>	
28/07/15	<p>पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। प्रार्थी वकील श्री राणीदान सेवक एवं रैस्पोंडेंट वकील श्री अब्दुलरहमान उपस्थित। रैस्पोंडेंट वकील श्री अब्दुलरहमान द्वारा वकालात नामा प्रस्तुत किया जो शामिल आवृत्ति किया गया। पत्रावली आगन्दा दिनांक 01/09/2015 को प्रस्तुत हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>Sharma</u></p>	
01-09-15	<p>पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। प्रार्थी वकील श्री राणीदान सेवक एवं रैस्पोंडेंट वकील श्री अब्दुलरहमान उपस्थित। पत्रावली को जवाब दिनांक 17-11-2015 को प्रस्तुत हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>Sharma</u> जिला कलक्टर जैसलमेर</p>	
17-11-15	<p>पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। अपीलान्त के वकील श्री राणीदान सेवक एवं रैस्पोंडेंट सेवक 1 से 5 की ओर से श्री अब्दुलरहमान एवं रैस्पोंडेंट से 6 की ओर से राज परीकार उपस्थित। अपील में वकील वकीलान्त के साथ अपीलान्त की ओर से शर्चना पत्र प्रस्तुत कर विवेक किया गया कि विवादित भूके अपीलान्त नारायण राम के नाम से हो चुकी है तथा अपीलान्त उक्त अपील की आशिम परकी मर्त जमाना चला है, अतः अपील जरिमे जमाना के आधार पर विही विस्तारण करवाया जाये। वकील अपीलान्त के द्वारा अपील में नोटिस किया गया है। चूंकि अपीलान्त द्वारा जरिमे वकील अपीलान्त विही। नोटिस की गई है अतः अपील में कार्यवाही सम्पन्न की जाती है। अपील नम्बर से कम होकर केस में समाप्त हो। पत्रावली जाद वाली व त कमील के केस में समाप्त होकर दरमस दफ्त हो। नोटिस बुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><u>Sharma</u> जिला कलक्टर जैसलमेर</p>	

